

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 20(5)(1)त.शि./04 पार्ट

जयपुर, दिनांक, 26 जून, 2019

प्राचार्य,  
अभियांत्रिकी महाविद्यालय  
अजमेर।

विषय :- Approval of Minutes of Board of Governors meeting dated  
20-6-2019.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार आपके द्वारा बीओजी की बैठक दिनांक 20.6.2019 का प्रस्तुत कार्यवाही विवरण (अनुमोदित) की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कृपया संलग्न अनुमोदित कार्यवाही विवरण में बीओजी के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर करवाते हुये जारी कर वेबसाइट पर अपलोड कर लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
- 3 स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्यूप-III SPIU कार्यालय।
- 4 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

13<sup>th</sup> Meeting of Board of Governors of Engineering College Society Ajmer was held on Thursday, June 20, 2019 at 10.30 am in the Board Room of Technical Education Bhawan, Govt. R.C. Khaitan Polytechnic Campus, Jaipur in the Presidentship of Dr. Subhash Garg, Hon'ble Minister of State, Technical Education Department and under the Chairmanship of Prof. R.P. Dahiya, AICTE Nominee.

Following Members were present:

1. Sh. Vaibhav Galriya, Hon'ble Secretary, Technical Education Department
2. Sh. D.S. Yadav, Member, ECS Ajmer
3. Sh. D.K. Jain, Member, (Nominee from Finance ), ECS Ajmer
4. Dr. Dinesh Birla, Member, ECS Ajmer
5. Dr. Vimal Chand Jain, Member, ECS Ajmer
6. Dr. Chandan Sharma, Member, ECS Ajmer
7. Dr. Rohit Mishra, Member Secretary, Engineering College Society Ajmer

Following persons were also present:

8. Sh. Anil Kumar Agarwal, Joint Secretary-I, Technical Education Deptt.
9. Sh. Manish Gupta, Joint Secretary-II, Technical Education Deptt.
10. Mr. U.A. Dabade, S.P.A., SPIU, (TEQIP-III)
11. Dr. Sandeep Kumar, Director, CEG, Jaipur
12. Dr. Ankur Pareek, Nodal Officer (Academics), SPIU (TEQIP-III), Jaipur
13. Dr. Jitendra Kumar Deegwal, Principal, Women Engineering College, Ajmer
14. Dr. Shiv Lal, Principal, Engineering College, Banswara

प्रस्ताव संख्या	विवरण	निर्णय
13.01	बारहवीं शासी परिषद् के कार्यवृत्त (मिनट्स) की पुष्टि हेतु क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	The progress will be reviewed in the next quarter BoG.
13.02	महाविद्यालय में आयोजना भिन्न मद में सृजित अशैक्षणिक पदों को क्रमोन्नत करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Deferred
13.03	महाविद्यालय में अध्ययनरत एम.टेक., एम.बी.ए., एम.सी.ए. एवं पीएच.डी. के छात्रों की मौखिक परीक्षा (Dissertation/viva) लेने हेतु संबंधित संकाय सदस्यों को यात्रा व अन्य भत्ते भुगतान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	उपरोक्त बिन्दू पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि M.Tech., M.B.A., M.C.A. एवं Ph.D. के छात्रों के Dissertation /Viva के लिए External Expert को नियमानुसार टी.ए./डी.ए. मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, परन्तु छात्र के गाईड को उपरोक्त बैठक में भाग

		लेने के लिए टी.ए./डी.ए. का भुगतान अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा। साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं वीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, वीकानेर को यह राय देगा कि जहा तक सम्भव हो Dissertation/ Viva सम्बन्धित अभियांत्रिकी महाविद्यालय में ही करवाये जाये।
13.04	अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति अजमेर की बैठकों में नियुक्त सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों को मानदेय एवं T.A./D.A./ Hospitality का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	मानदेय केवल सदस्यों को देय एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों को केवल T.A./D.A. देय होगा।
13.05	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों से शुल्क राज्य सरकार के आदेशानुसार लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के गत वर्ष के आदेश के अनुसार ही अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा इस वर्ष फीस ली जावे।
प्रस्ताव संख्या	विवरण	निर्णय
13.06	महाविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत कार्य कर रहे कार्मिकों की सेवा समाप्ति / सेवा से त्याग पत्र देने / सेवा से निष्कासित किये जाने / अन्यत्र नियुक्ति होने / प्रतिनियुक्ति आदि पर महाविद्यालय में जमा राशि का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Deferred
13.07	महाविद्यालय के नियमित आयोजना भिन्न / एस. एफ. एस. के तहत नियुक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों को स्थाई करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Deferred
13.08	महाविद्यालय में कार्यरत नियमित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान करने के लिए पृथक कोष बनाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Deferred
13.09	महाविद्यालय में वर्ष 2004 से पूर्व आयोजना भिन्न मद में नियुक्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू सी0पी0एफ0 की दरों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Deferred

13.10	महाविद्यालय के यांत्रिकी विभाग के सह आचार्य, डॉ. अंकुर पारीक के प्रतिनियुक्ति विस्तार हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार की अनुमति हेतु अलग से पत्र संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रेषित करें।
13.11	TEQIP-III परियोजना के अन्तर्गत NBA Accreditation की क्रियान्विति हेतु महाविद्यालय का Vision & Mission प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Approved
13.12	महाविद्यालय में कार्यरत श्री गुणा राम, सहायक आचार्य, भौतिकी के निलम्बन काल हेतु पारित शास्ति पर संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक दिनांक 20.7.2016 व प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर पुनः विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत।	Deferred
13.13	शासी परिषद् की बैठकों में महाविद्यालय हेतु नियुक्त मेंटर को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	शासी परिषद् की बैठकों को TEQIP योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय हेतु नियुक्ति मेंटर संस्थान के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि मेंटर संस्थानों के प्रतिनिधि समय-समय पर सम्बन्धित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का भ्रमण कर उसमें सुधार कर अपने सुझाव प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को प्रस्तुत करें तथा उन सुझावों पर अमल के बारे में अपने प्रतिवेदन शासी परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करें।
13.14	विद्यार्थियों के शुल्क के संबंध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत।	विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के गत वर्ष के आदेश के अनुसार ही अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा इस वर्ष फीस ली जावे।
13.15	महाविद्यालय में महिला शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	उपरोक्त प्रकरण पर वित्त विभाग से राय ली जाकर शासी परिषद् में प्रस्तुत किया जावे।
13.16	महाविद्यालय के शैक्षणिक भवन व छात्रावास	स्वीकृत नहीं,

	भवन पर सोलर प्लान्ट के स्थापना हेतु किए गए MoU के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	तकनीकी शिक्षा विभाग को महाविद्यालय द्वारा पूर्व जानकारी अलग से प्रेषित की जावेगी।
13.17	महाविद्यालय में वित्त विभाग की सहमति से सृजित अशैक्षणिक पदों को क्रमोन्नत करने तथा अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के समान वेतन श्रृंखला अनुमोदित करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Deferred तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इस क्रम में आदेश प्रसारित किए जाएंगे।
प्रस्ताव संख्या	विवरण	निर्णय
13.18	श्री बलविन्दर सिंह, सहायक आचार्य, विद्युत एवं विद्युतीकरण अभियांत्रिकी विभाग की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Approved
13.19	डॉ. नन्द किशोर मीणा, सहायक आचार्य (NPIU) जो महाविद्यालय में अनुबंध पर नियुक्त है के द्वारा विदेशी विश्वविद्यालय से शोध विवरण कार्य हेतु महाविद्यालय से एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Deferred तकनीकी शिक्षा विभाग व SPIU को महाविद्यालय द्वारा पूर्ण जानकारी अलग से प्रेषित की जावेगी व संबंधित की सेवा समाप्त मानी जावेगी।
13.20	महाविद्यालय का मिशन एवं विजन माननीय शासीय परिषद के 10 वीं बैठक में दिए गए निर्देशानुसार विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Approved
13.21	तिमाही-3 कार्ययोजना (जुलाई से सितम्बर 2019 - 2020) पर विचार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित।	Approved
13.22	यात्रा समय परिवहन के तरीके की वरियता के लिए नियमों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदन हेतु प्रेषित।	Discussed TEQIP III के नियमों की पालना करते हुए प्राचार्य की अनुमति से यात्रा की जावे।
13.23	महाविद्यालय की दूरदर्शिता और मिशन (Vision and Mission) पर विचार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित।	Approved
13.24	महाविद्यालय के सूचारु संचालन हेतु 13 अतिथि व्याख्याताओं के पद को स्वीकृत और अनुमोदन हेतु प्रेषित।	Deferred TEQIP III से और NPIU संकाय सदस्यों की मांग की जावे अथवा वार्षिक नियत मानदेय पर संकाय सदस्य नियत समय के लिए रखे जावें।
13.25	अतिरिक्त प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से।	सभी का आभार प्रकट कर बैठक समाप्त

**Common points discussed and directed by BoG:-**

1. GATE trainings & employability tests may be conducted by other Firms in addition to NPIU empanelled firms. The SPIU, TEQIP, Jaipur shall prepare the ToR for Firms.
2. Wide publicity of procurement under TEQIP-III in - (a) State wide news paper- One hindi leading news paper in Rajasthan, (b) One Nationwide English news paper and (c) On the website of college by all the Institutes.
3. Start of all Engineering Colleges at 9:00 AM for all working days - Every Engineering College Society may redesign the time table to start the college at 9:00 AM for all working days from 2019-2020 session.
4. Presentation in next BoG meeting, agenda should be in presentation form (ppt) with five hard copies.
5. Link all Engineering Colleges through CCTV and surveillance system in such a way that Technical Education officers can view on their mobile phone or computer. SPIU, TEQIP shall explore the technique and shall be responsible for implementation.
6. Every Engineering College shall ensure to be No Smoking premises. The appropriate measures will be ensured by the Principal.
7. Ensure Academic Audit under TEQIP-III project.
8. Prepare 10 years vision document by every Engineering College including feedback from students and faculties. Take advice of Prof. Sandeep Sancheti, Vice-Chancellor, SRM University, Chennai & Chairman, BoG, MLVTI Society, Bhilwara in this matter.
9. Preparation of a plan by every Engineering College for Aluminai Meet.
10. The best Principal recognition shall be given among all engineering colleges, who shall work on business data analytics like SAS software etc.
11. To conduct 'series of lectures' for students and faculties with the help of IIT, Jodhpur and MNIT, Jaipur under TEQIP.
12. Prepare a short term course for overall development for Principal and faculty members with the help of MNIT, Jaipur.

